न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस)
वाद संख्या : 103/2022

निर्णय दिनांक :25.02.2025

1. धन्नालाल पुत्र चान्दूराम शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण
   निवासी ग्राम बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र घीसा जाति कुम्हार प्रजापति
   निवासी ग्राम बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. हरिनारायण पुत्र घीसा जाति कुम्हार प्रजापति
   निवासी ग्राम बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. मुरली पुत्र घीसा जाति कुम्हार प्रजापति
   निवासी ग्राम बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. रामलाल पुत्र घीसा जाति कुम्हार प्रजापति
   निवासी ग्राम बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

—मुख्य प्रतिवादीगण

6. हनुमान पुत्र नाथूराम जाति हरियाणा ब्राह्मण
   निवासी ग्राम बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. सिंडीकेट बैंक शाखा बिलौंची आमेर जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक

—तरतीबी प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक आमेर जयपुर

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से वाके ग्राम बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादी व प्रतिवादी 6 की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि आराजी ख.नं. 1182 रकबा 0.6300 है. तथा उक्त आराजीयात की पश्चिमी दिशा के सीमा लगवा स्थित प्रतिवादीगण सं 1 ता 4 की खातेदारिताओ की भूमि खसरा नं. 1982/1183, 1990/1184, 1985/1183, 1988/1184, 1984/1183, 1987/1184, 1983/1183, 1989/1184 के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण सं 1 ता 4 के विरूद्ध प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादीगण आये दिन वादी की खातेदारिता की भूमि ख. नं. 1182 की पश्चिमी दिशा में बनी तारबंदी व मेड को खुर्द बुर्द करते हुए वादी की भूमि की सीमाओ से छेडछाड करते रहते है तथा बिना सीमाज्ञान व बिना सीमाचिन्ह कायम कराये ही वादी की भूमि ख.नं. 1182 की सीमा में स्थित वादी की फसल को तथा सीमा पर स्थित तारबंदी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है तथा उभयपक्षकारान के मध्य वास्तविक विधि अनुरूप सीमा चिन्ह कराये बिना ही वादी की आराजी में पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है जबकि विधिक प्रक्रिया के अभाव में ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नहीं है इसी क्रम में दिनांक 12.12.2022 को भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी की उक्त वर्णित भूमि की सीमा पर स्थित तारबंदी व मेड को हटाते हुए व वादी की फसल को नष्ट करते हुए वादी की उक्त भूमि को अपनी भूमि होना बताते हुए मौके पर नींव खोदते हुए पुख्ता निर्माण की सामग्री डाल दी गई जबकि विधिक प्रावधानो की पालना में बिना सीमाज्ञान व सीमाचिन्ह अंकित कराये प्रतिवादीगण को कोई हक अधिक[illegible] वादी को वाद कारण उत्पन्न होकर अपने विधिक अधिकारो व भूमि की सुरक्षार्थ वाद न्यायालय [illegible] समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री [illegible] प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे ग्राम बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित [illegible] अधीन भूमि [illegible] 1182, 1982/1183, 1190/1184, 1985/1183, 1988/1184, 1984/1183, 1987/1184, [illegible]/1183, 1989/1184 के पुख्ता सीमाचिन्ह के अभाव में उक्त भूमि की सीमाओ पर किसी प्रकार का अविधिक निर्माण कार्य व मौके पर किसी प्रकार की अविधिक कार्यवाही ना करे तथा वादी को उसकी भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व बाधा कारित ना करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.03.04 14:59:11 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से अपने वाद पत्र के संदर्भ/समर्थन में जमाबंदी संवत् 2076–2079, खाता सं 170 वाके ग्राम बिलौंची की प्रमाणित (ऑनलाईन प्रति दिनांक 14.12.2022) प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके

अनुसार भूमि वादग्रस्त ख.नं. 1182 रकबा 0.63 है. वादी व प्रतिवादी सं. 6 की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि है।

वादपत्र में वर्णित तथ्यो के संदर्भ में जवाब प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किए गए। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण सं 1 ता 4 की ओर से दिनांक 03.01.2023 को उपस्थिति प्रस्तुत की गई तथा प्रतिवादीगण सं 6, 7 की ओर से बावजूद सक्षम तामिल उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की जाने पर प्रतिवादीगण 6, 7 के विरूद्ध दिनांक 08.01.2024 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए।

प्रतिवादीगण सं 1 ता 4 की ओर से जवाब वादपत्र प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा कभी वादी की भूमि पर कब्जा अथवा खुर्द—बुर्द करने की कोशिश नहीं की गई है। अपितु वादी द्वारा मात्र मिन प्रतिवादीगण को हैरान परेशान करने की गरज से वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी व प्रतिवादी 6 द्वारा पूर्व में भी मिन प्रतिवादी के विरूद्ध एक प्रा.पत्र बाबत रास्ता चाहने हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष किया गया है। जो न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण को वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता के दृष्टिगत खारिज कर दिया गया था। उक्त तथ्य को छिपाते हुए वादी ने मिन प्रतिवादीगण को परेशान करने मात्र के उद्देश्य से मनगढंत आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है तथा कथन किया गया है मिन प्रतिवादीगण (1 ता 4) ने बिना सीमाज्ञान कराये ही भूमि को खुर्द बुर्द करने की कोशिश की गई है तथा वादी की भूमि पर तारबंदी को हटाने व मेड को नष्ट कर भूमि पर (कब्जा) कर निर्माण कार्य करने की धमकी दी गई है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा कभी वादीगण की भूमि की तारबंदी को हटाने, मेड को नष्ट करने व निर्माण की कोई धमकी नहीं दी गई है, ना ही ऐसी कोई कोशिश की गई है अपितु प्रतिवादीगण अपनी खातेदारिता भूमि का विधिवत सीमाज्ञान करवाकर उक्तानुसार अपनी भूमि पर दुकाने बनाकर काबिज है। जिससे द्वेषतावश तथा मिन प्रतिवादीगण को परेशान करने मात्र के उद्देश्य से मनगंढत वाद कारण प्रदर्शित करते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब वादपत्र के संदर्भ/समर्थन में फर्द मौका सीमाज्ञान बाबत भूमि आ.ख.नं. 1982/1183, 1990/1184, 1983/1183, 1989/1184 वाके ग्राम बिलौंची की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:—

1. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द के कराने का अधिकारी है ।

—वादी

2. आया वाद वादी वाद कारण के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है।

— प्रतिवादीगण

3. आया वाद वादी बार्ड बाई लॉ होने से निरस्त योग्य है।

— प्रतिवादीगण

4. अनुतोष

कायम तनकीयात के क्रम में वादी की ओर से साक्ष्य शपथपत्र धन्नालाल पुत्र चान्दूराम, गवाह श्रवण कुमार पुत्र धन्नालाल, गवाह हनुमान सहाय पुत्र भूराराम जाट के पेश किये गये। जिनसे निरन्तर अवसरो उपरान्त भी प्रतिवादीगण की ओर से जिरह नहीं की जाने पर जिरह का अवसर प्रतिवादीगण का बंद किया गया। उक्त अनुसरण में प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य शपथपत्र प्रतिवादी 1 कन्हैयालाल पुत्र घीसा, प्रतिवादी 4 रामलाल पुत्र घीसा व गवाह संतोष कुमार पुत्र रघुनाथ के प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध कराए गए। उभयपक्षकारान की साक्ष्य विधिवत पूर्ण की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। जिसके क्रम में उभयपक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई।

हमने उभयपक्षकारान के अभिकथनों एवं साक्ष्य का मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के समग्र विवेचन अनुसार प्रकरण का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.03.04 14:59:11 IST
Reason: SelfAttested

तनकी सं 1:— इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता वादी पर थी। जिसके अनुसार वादी द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि वादी प्रतिवादीगण को वाद अधीन भूमि के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। उक्त परिपेक्ष्य में राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा स्वयं की खातेदारिता की भूमि ख.नं. 1182 की सीमाओ की सुरक्षार्थ वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसका विधिक प्रावधान अनुसार राज.काश्त.अधि. की धारा 188 के अंतर्गत वादी उपयुक्त अधिकारी है। स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा अपने

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
न्यायालय-जयपुर

जिरह/बयानो में यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि की सीमाओ पर दुकानो का (व्यावसायिक) निर्माण किया गया है। जिसके बाबत जेडीए द्वारा प्रतिवादीगण की अविधिक कार्यवाही के दृष्टिगत बाबत उक्त निर्माण कार्य को तोडा भी गया है। जिससे प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर अविधिक निर्माण कार्य किया जाना स्वतः ही सिद्ध प्रमाणित होता है तथा इसके अतिरिक्त भी स्वयं प्रतिवादी 1 द्वारा अपने बयान में यह भी स्वीकार किया गया है कि विवादित भूमि पर सीमाचिन्ह कायम नहीं है जो कायम हो जावे तो पक्षकारान में विवाद खत्म हो जावेगा। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि पर सीमाचिन्ह/पत्थरगढी कायम नहीं है। जिससे स्थाई सीमाचिन्ह के अभाव में किए गये निर्माण कार्य की वैद्यता संदेहस्पद प्रतीत होती है। साथ ही सरकारी एजेंसी (जेडीए) द्वारा उक्त निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाना उक्त निर्माण का अविधिक व गैर अनुमत होना सिद्ध करता है। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण की वाद अधीन आंशिक भूमि ही सीमाज्ञान शुदा भूमि है। जबकि पक्षकारान के मध्य विवाद के स्थाई समाधान हेतु पक्षकारान की पूर्ण भूमि का विधिक सीमाज्ञान व तदनुसार स्थाई सीमाचिन्ह कायम किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। जो कि स्वयं प्रतिवादी 1 अनुसार भी स्वीकृत कथन है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं 2:– इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि वाद कारण के अभाव में वाद वादी खारिज योग्य है। इस परिपेक्ष्य में यद्यपि तो प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई मान्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध/स्पष्ट हो सके कि वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है जबकि स्वयं प्रतिवादीगण के प्रस्तुत एकमात्र साक्ष्य दस्तावेज (सीमाज्ञान रिपोर्ट) अनुसार प्रतिवादीगण की संपूर्ण भूमि सीमाज्ञानशुदा भूमि नहीं होकर आंशिक भूमि ही सीमाज्ञानशुदा भूमि है तथा आंशिक सीमाज्ञानशुदा भूमि पर भी कोई स्थाई सीमाचिन्ह कायम नहीं होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा पक्षकारान की भूमि की सीमा पर गैर अनुमत/अविधिक निर्माण कार्य किया जा रहा/किया गया है। जिसके बाबत पूर्व में जेडीए द्वारा कार्यवाही स्वरूप निर्माण ध्वस्त भी किया गया है। इस प्रकार मान्य/स्थाई सीमाचिन्ह के अभाव में तथा आंशिक मात्र भूमि के ही सीमाज्ञान के आधार पर भूमि सीमा पर गैर अनुमत/व्यावसायिक पुख्ता निर्माण स्वतः ही एक सक्षम वाद कारण है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी सं 3:– इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि वाद वादी बार्ड बाई लॉ होने से निरस्त योग्य है। उक्त परिपेक्ष्य में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई मान्य साक्ष्य दस्तावेज अथवा कोई कथन (तर्क) प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह प्रदर्शित करता हो कि वाद वादी किस प्रकार विधि द्वारा वर्जित है। जबकि वादी द्वारा एक अभिलिखित खातेदार के रूप में स्वयं की अभिलिखित खातेदारिता की भूमि की सुरक्षार्थ राज.काश्त.अधि की धारा 188 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया गया है। जो नियत प्रावधान अनुसार प्रतिबंधित नहीं है। जहाँ तक प्रश्न पूर्व प्रस्तुत प्रा. पत्र धारा 251 (ए) के आधार का है तो उक्त प्रा.पत्र निर्माण एक अभिलिखित खातेदार को अपनी खातेदारिता की भूमि के संदर्भ में गैर खातेदार के अविधिक कार्य हेतु निर्देशित करावाए जाने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के वाद प्रस्तुत वादी की अधिकारिता को प्रभावित नहीं करता है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bohra
Date: 2025.03.04 14:59:11 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्षकारान के प्रस्तुत अभिकथनों, प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों, गवाहों के बयानात के दृष्टिगत तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि वाद अधीन उल्लेखित भूमि आ.ख.नं. 1182 वादी व प्रतिवादी 6 की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि है जिसके सीमा लगवा प्रतिवादीगण की भूमि स्थित है। वादी द्वारा अपनी अभिलिखित एकलखातेदारिता की भूमि की सुरक्षा के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष इस निवेदन के अंतर्गत चाहा गया है कि प्रतिवादीगण विधिक रूप से मान्य सीमाज्ञान व सीमाज्ञान अनुसार अपनी भूमि के पुख्ता सीमाचिन्हो के अभाव में वादी की खातेदारिता की भूमि की सीमाओं में किसी प्रकार का अविधिक हस्तक्षेप व अविधिक निर्माण ना करें। जिसके बाबत प्रतिवादीगण के कथनों से यह स्पष्ट होता है

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
न्यायालय-जयपुर

कि प्रतिवादीगण द्वारा अपनी भूमि के विधि अनुसार पूर्ण सीमाज्ञान व पुख्ता सीमाचिन्हो के अभाव में वादग्रस्त भूमि की सीमाओ पर गैर अनुमत/अविधिक पुख्ता निर्माण (व्यावसायिक निर्माण) किया जा रहा है। जिसके बाबत पूर्व में नियमानुसार कार्यवाही भी विरूद्ध प्रतिवादीगण सम्पादित की गई है। उक्त क्रम में स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा अपने बयान/जिरह में यह स्वीकार किया गया है कि विवादित भूमि पर सीमाचिन्ह कायम नहीं है जो कायम हो जावे तो पक्षकारान में विवाद समाप्त हो जावेगा। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि पर सीमाचिन्ह/पत्थरगढी कायम नहीं है। जिससे स्थाई सीमाचिन्ह के अभाव में किए गये निर्माण कार्य की वैद्यता संदेहस्पद प्रतीत होती है। साथ ही सरकारी एजेंसी (जेडीए) द्वारा उक्त निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाना उक्त निर्माण का अविधिक व गैर अनुमत होना सिद्ध करता है। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण की वाद अधीन आंशिक भूमि ही सीमाज्ञान शुदा भूमि है। जबकि पक्षकारान के मध्य विवाद के स्थाई समाधान हेतु पक्षकारान की पूर्ण भूमि का विधिक सीमाज्ञान व तदनुसार स्थाई सीमाचिन्ह कायम किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः तथ्यो के दृष्टिगत वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादीगण अपनी खातेदारिता की पूर्ण भूमि के विधिक सीमाज्ञान के तदनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह के अभाव में वादग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 1182, 1982/1183, 1990/1184, 1985/1183, 1988/1184, 1984/1183, 1987/1184, 1983/1183, 1989/1184 वाके ग्राम बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर की सीमाओ पर किसी प्रकार का अविधिक निर्माण कार्य तथा पुख्ता सीमाचिन्ह के अभाव में वादी की खातेदारिता की भूमि की सीमा में वादी के निर्बाध उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का अविधिक हस्तक्षेप व बाधा कारित ना करे। साथ ही वादी को भी आदेशित किया जाता है कि वह नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर अपनी खातेदारिता भूमि का विधिक सीमाज्ञान व तदनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह की कार्यवाही करावें।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.03.04 14:59:11 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

धन्नालाल बनाम कन्हैयालाल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 103/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	10/2/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस अंतिम पर निर्णय नहीं लिखाया/सुनाया जा सका है अतः पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय दिनांक 14/2/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	14/2/25	आज दिनांक 14/02/25 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/2/25 को पेश हों।
	25/2/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस अंतिम के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के प्रस्तुत अभिकथनों प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात, गवाहों के बयानात के दृष्टिगत तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वाद अधीन भूमि ख.नं. 1182 वादी व प्रतिवादी-6 की अविभाजित खातेदारी की भूमि है जिसके सीमा लगाव प्रतिवादीगण की भूमि है। वादी द्वारा अपनी अविभाजित खातेदारी की भूमि की सुरक्षा के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष हेतु निवेदन के अन्तर्गत चाहा गया है कि प्रतिवादीगण विधिक रूप से मान्य सीमाज्ञान व उसके अनुसार अपनी भूमि के पुख्ता सीमाचिन्हों के अभाव में

फर्द अहकाम

धन्नालाल बनाम कन्हैयालाल व अन्य

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

103/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
25/2/25	वादी की खातेदारी की भूमि की सीमाओं में किसी प्रकार का अवैधिक हस्तक्षेप व अवैधिक निर्माण ना करे। जिसके बाबत प्रतिवादीगण के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपनी भूमि के विधि अनुसार पूर्ण सीमाज्ञान व पुख्ता सीमा चिन्हों के अभाव में वादग्रस्त भूमि की सीमाओं पर गैर अनुमत/अवैधिक पुख्ता निर्माण (व्यावसायिक निर्माण) किया जा रहा है। जिसके बाबत पूर्व के नियमानुसार कार्यवाही भी विरुद्ध प्रतिवादीगण सम्पादित की गई है। उक्त क्रम में स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा अपने बयान/जिरह में यह स्वीकार किया गया है कि विवादित भूमि पर सीमाचिन्ह कायम नहीं है जो कायम हो जावे तो पक्षकारान में विवाद समाप्त हो जावेगा। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि पर सीमा चिन्ह/पत्थरगढ़ी कायम नहीं है। जिससे स्थाई सीमा चिन्ह के अभाव में किए गए निर्माण कार्य की वैधता संदेहास्पद प्रतीत होती है साथ ही सरकारी एजेंसी द्वारा उक्त निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाना उक्त निर्माण का अवैधिक व गैर अनुमत होना सिद्ध करता है। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण की वाद अधीन आंशिक भूमि ही सीमाज्ञान शुदा भूमि है। जबकि पक्षकारान के मध्य विवाद के स्थाई समाधान हेतु पक्षकारान की पूर्ण भूमि का विधिक विभाजन व तदनुसार स्थाई सीमाचिन्ह कायम किया जाना भी न्यायोचित व आवश्यक है। अतः तथ्यों [illegible] वादी आंशिक रूप से स्वीकार [illegible] कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] जाता है कि प्रतिवादीगण	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.03.04 14:59:11 IST
Reason: SelfAttested

धन्नालाल बनाम ...लाल वगैरह

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 103/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	25/2/25	अपनी खातेदारिता की पूर्ण भूमि के विधिक सीमाज्ञान के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह के अभाव में वादग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 1182, $\frac{1982}{1183}$, $\frac{1990}{1184}$, $\frac{1985}{1183}$, $\frac{1988}{1184}$, $\frac{1184}{1183}$, $\frac{1987}{1184}$, $\frac{1983}{1183}$, $\frac{1989}{1184}$ वाके ग्राम बिलौंची तह. आमेर जिला जयपुर की सीमाओं पर किसी प्रकार का अविधिक निर्माण कार्य तथा पुख्ता सीमाचिन्ह के अभाव में वादी की खातेदारिता की भूमि की सीमा में वादी के निर्बाध उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार का अविधिक हस्तक्षेप व बाधा कारित ना करें। साथ ही वादी को भी आदेशित किया जाता है कि वह नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर अपनी खातेदारिता की भूमि का विधिक सीमाज्ञान व तदनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह की कार्यवाही करावे। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.03.04 14:59:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर
इजलास **डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**
वाद संख्या : 103/2022 **निर्णय दिनांक :25.02.2025**

1. धन्नालाल पुत्र चान्दूराम शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण
   निवासी ग्राम बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र घीसा जाति कुम्हार प्रजापति
   निवासी ग्राम बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. हरिनारायण पुत्र घीसा जाति कुम्हार प्रजापति
   निवासी ग्राम बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. मुरली पुत्र घीसा जाति कुम्हार प्रजापति
   निवासी ग्राम बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. रामलाल पुत्र घीसा जाति कुम्हार प्रजापति
   निवासी ग्राम बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

–मुख्य प्रतिवादीगण

6. हनुमान पुत्र नाथूराम जाति हरियाणा ब्राह्मण
   निवासी ग्राम बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. सिंडीकेट बैंक शाखा बिलौंची आमेर जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक

–तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादीगण अपनी खातेदारिता की पूर्ण भूमि के विधिक सीमाज्ञान के तदनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह के अभाव में वादग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 1182, 1982/1183, 1990/1184, 1985/1183, 1988/1184, 1984/1183, 1987/1184, 1983/1183, 1989/1184 वाके ग्राम बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर की सीमाओ पर किसी प्रकार का अविधिक निर्माण कार्य तथा पुख्ता सीमाचिन्ह के अभाव में वादी की खातेदारिता की भूमि की सीमा में वादी के निर्बाध उपयोग–उपभोग व किसी प्रकार का अविधिक हस्तक्षेप व बाधा कारित ना करे। साथ ही वादी को भी आदेशित किया जाता है कि वह नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर अपनी खातेदारिता भूमि का विधिक सीमाज्ञान व तदनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह की कार्यवाही करावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.02.2025 को जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर
ओहदा ....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02		स्टाम्प		
स्टाम्प वकालत नामा	02		स्टाम्प [illegible]ा	02	
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इज[illegible] हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.03.04 14:59:11 IST
Reason: SelfAttested